जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा ।

''अति अल्प कालीन निविदा''

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झाररखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक (N) 1720 दिनांक 18.06.2018 के आलोक में वितीय वर्ष 2019–20 में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्री के क्रय किया जाना है । अतएव इच्छुक पंजीकृत निविदादाता/ आपूर्तिकर्ता शीलबन्द लिफाफे में दिनांक 22:06:19 के 2:00 बजे अपराह्न तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा कार्यालय में जमा कर सकते है । प्राप्त निविदा दिनांक 22:06:19 को 3:00 PM बजे पूर्वाह्न में क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में खोला जायेगा ।

क0	सामग्री का नाम
1	केंचुआ खाद, नीम/करंज खल्ली, Bone Meal/SSP, Dolomite or any other Suitable Fertilizer, Trichoderm sp
2	फफुन्दनाशक (Mancozeb+Carbendazim, Copper Oxycholride or any Suitable Fungicide)
3	कीटनाशक दवा (Quinalphos/Chlorophyriphos/Furadon 3G/Fernvalrate or any other suitable insecticide)
4	दीमकनाशक दवा (Pyrethrum or equivalent)
5	रसायनिक खाद (NPK युरिया, डी0ए0पी0, पोटास)
6	जलकुंड हेतु पॉलीथीन 250u (micron) का UV Protected black polythene sheet

नियम व शर्ते :-

1. निविदा के साथ 2000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, चतरा के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न/वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
3. निविदादाता को तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफा में समर्पित करना होगा ।
4. चतरा जिले के पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कॉपरेटिव/स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी ।
5. सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर करना होगा जिसमें सभी प्रकार के कर एवं परिवहन शुल्क आदि की राशि सम्मिलित होगी ।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 5 दिनों के अन्दर कार्य स्थल पर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा ।

7. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि :-

i. सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर मेरे द्वारा की जाएगी । आपूर्ति की जाने वाली सामग्री नकली/एक्सपायरी तथा किसी प्रकार की गुणवता को लेकर अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे ।

ii. निविदा के माध्यम से स्वीकृत दर पर ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति की गयी सामग्री का अभिश्रव कार्यकारी एजेन्सी को दिया जाएगा, उससे अधिक राशि का अभिश्रव समर्पित किये जाने पर कार्रवाई के हकदार होंगे ।

iii. निविदादाता को किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है, ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे ।

8. निविदा के शर्तो में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।

ह०-

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
चतरा ।

ज्ञापांक 144 /मनरेगा दिनांक 13/06/19

प्रतिलिपि :-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अति अल्प कालीन निविदा से संबंधित सूचना को चतरा जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि :-उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

13/6/19

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
चतरा ।